न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्रीमती अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 12/2022

प्रार्थीगण

1. श्री जोगाराम पुत्र श्री भूराराम जाति रेबारी निवासी पिपेला ग्राम पंचायत रोहिडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. श्री भोलाराम पुत्र श्री जोगाराम जाति रेबारी निवासी पिपेला ग्राम पंचायत रोहिडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
3. श्री शंकरलाल पुत्र श्री रामाराम जाति रेबारी निवासी पिपेला ग्राम पंचायत रोहिडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
4. श्री रामाराम पुत्र श्री भूराराम जाति रेबारी निवासी पिपेला ग्राम पंचायत रोहिडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
5. श्री धनाराम पुत्र श्री मालाराम जाति रेबारी निवासी पिपेला ग्राम पंचायत रोहिडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. ग्राम पंचायत रोहिडा जरिए सरपंच ग्राम पंचायत रोहिडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थिति :–

1. श्री नगेन्द्र मेडतिया अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. अप्रार्थी स्वयं अनुपस्थित।

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

निर्णय **दिनांक 08.11.2024**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत ग्राम पंचायत रोहिडा के प्रस्ताव संख्या 07 दिनांक 03.02.2016 एवं प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 20.02.2016 को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी द्वारा दिनांक 01.02.2023 को जवाब पेश किया, जो शामिल मिसल किया गया। इसके उपरान्त अप्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार की कोई उपस्थिति नहीं दी गई। अतः प्रार्थी पक्ष की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री [illegible] ने दौराने बहस मेरा ध्यान प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत रोहिडा द्वारा प्रस्ताव संख्या 07 दिनांक 03.02.2016 एवं प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 20.02.2016 विधि विरुद्ध [illegible] किया गया है। यह है कि प्रार्थीगण के झूपें तथा बाडे गांव पिपेला तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही में आए [illegible] जिसमें अपनी–अपनी सम्पत्ति पर प्रार्थीगण अपने परिवार के साथ निवास करते है। उक्त सम्पत्ति प्रार्थीगण की पुश्तैनी सम्पत्ति है। यह है कि प्रार्थीगण के पुराने कब्जे भोगवटा के उक्त

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:37:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

भूखण्डों को ग्राम पंचायत द्वारा विक्रय कर अन्य व्यक्तियों के हक में पट्टे जारी कर दिए गए थे तथा ग्राम पंचायत द्वारा उक्त भूमि का विक्रय करने के बाद ग्राम पंचायत के पास कोई भूमि शेष नहीं रहती है, जब कि पट्टाधारियों को कभी भी कब्जा ग्राम पंचायत द्वारा सुपूर्द नहीं किया गया था, उक्त भूमि पर प्रार्थीगण ही पुराने समय से काबिज होकर उपयोग व उपभोग कर रहे है। अप्रार्थी द्वारा पूर्व में जारी पट्टे की भूमि को वापस विक्रय करने का गलत व विधि विरूद्ध कृत्य कर रहा है तथा इस हेतु प्रार्थीगण के आवासीय सम्पत्ति से प्रार्थीगण को बेदखल करने का प्रयास कर रहे है। अप्रार्थी ग्राम पंचायत ने दिनांक 03.02.2016 को प्रस्ताव संख्या 07 लेकर विवादित भूमि पर प्रार्थीगण द्वारा अतिक्रमण किया जाना बताकर प्रार्थीगण के वैध कब्जे में प्रतिवादीगण द्वारा दखल किया जा रहा है तथा ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थीगण को विवादित भूमि से बेदखल किए बिना ही प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 20.02.2016 पारित किया गया है। ग्राम पंचायत उक्त प्रस्तावों की आड में प्रार्थीगण को विवादित भूमि से बेदखल करने का प्रयास कर रही है, जो सर्वथा गलत व विधि विरूद्ध है। ग्राम पंचायत द्वारा भूमि का विक्रय करने के बाद ग्राम पंचायत का उस भूमि पर कोई अधिकार नहीं रहता है, इस प्रकरण में भी विवादित भूमि ग्राम पंचायत द्वारा विक्रय कर अन्य व्यक्तियों के हक में पट्टे जारी करने के बाद ग्राम पंचायत को उक्त भूमि से प्रार्थीगण के कब्जे में दखल करने का कोई अधिकार नहीं है। यह है कि पट्टाधारियों द्वारा कोई शिकायत ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवाई गई है, जिससे ग्राम पंचायत को प्रार्थीगण की सम्पत्ति से प्रार्थीगण को बेदखल करने का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा उक्त गलत व विधि विरूद्ध प्रस्ताव लेकर कार्यवाही की गई है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किए जाने योग्य है। यह है कि प्रार्थीगण को विवादित भूमि से कभी भी बेदखल नहीं किया गया है तथा न ही ग्राम पंचायत को दो पक्षों के बीच किसी भूमि विवाद में कोई निर्णय पारित करने का अधिकार है। पट्टाधारियों तथा प्रार्थीगण के बीच कब्जे का विवाद होने से ग्राम पंचायत को कोई प्रस्ताव पारित करने का अधिकार नहीं था, फिर भी अन्य व्यक्तियों को अनुचित फायदा पहुंचाने के आशय से गलत व विधि विरूद्ध प्रस्ताव पारित कर प्रार्थीगण के पुश्तैनी आवास व बाडे से प्रार्थीगण को बेदखल करने का षडयंत्र किया जा रहा है, जो गलत है। यह है कि उक्त प्रस्ताव पारित करने से पूर्व प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार का सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है तथा न ही कोई पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 07 दिनांक 03.02.2016 एवं प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 20.02.2016 को निरस्त किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब में यह निवेदन किया कि प्रार्थीगण का मौके पर कोई कब्जा नहीं है एवं प्रार्थीगण द्वारा पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण करने पर ग्राम पंचायत द्वारा विधि सम्मत प्रक्रिया की पालना करते हुए अतिक्रमण मुक्त करवाया गया था। यह है कि प्रार्थीगणों का उक्त वादग्रस्त भूमि पर कोई जायज हक व कब्जा नहीं है एवं आबादी भूमि पर ग्राम पंचायत का हक है एवं प्रार्थीगण द्वारा अतिक्रमण किए जाने पर ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित कर अवैध निर्माण/कब्जा की बेदखली कर ली गई है और ग्राम पंचायत द्वारा विधि सम्मत कार्यवाही [illegible] अतिक्रमण की बेदखली की गई है। यह है कि प्रार्थीगण द्वारा अतिक्रमण करने पर ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थीगण को विधि सम्मत नोटिस जारी कर पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया गया था एवं अतिक्रमण से बेदखल करने की शक्तियां पंचायत में निहित है, जिससे ग्राम पंचायत द्वारा विधि सम्मत कार्यवाही कर अतिक्रमण हटाने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं विधि अनुसार अतिक्रमण हटाया गया। ग्राम पंचायत रोहिडा द्वारा सम्पूर्ण आबादी रकबा भूमि पर विक्रय विलेख जारी कर दिए गए, जिसमें आबादी भूमि शेष नहीं रहती हे। अतः प्रार्थी द्वारा उक्त निगरानी अप्रार्थी को

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:37:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

हैरान परेशान करने की नियत से पेश की गई है, जो खारिज किए जाने योग्य है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाना फरमावें।

प्रार्थी पक्ष की एक पक्षीय सुनी गई बहस एवं प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली का भलिभॉति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है कि ग्राम पंचायत रोहिडा द्वारा प्रस्ताव संख्या 07 दिनांक 03.02.2016 पिपेला रोड स्थित ग्राम पंचायत की आबादी भूमि पर प्रार्थीगण द्वारा किए गए कब्जे का हटाने के सम्बन्ध में पारित किया गया था इसके पश्चात प्रार्थीगण द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि पर पुनः कब्जा करने की कोशिश करने पर ग्राम पंचायत रोहिडा द्वारा प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 20.02.2016 के द्वारा अतिक्रमी को कडी सजा दिलवाने हेतु सम्बन्धित पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज करवाने एवं इसके सम्बन्ध में उच्च अधिकारियों को लिखने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित किया गया था। प्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि उक्त वादग्रस्त भूखण्ड प्रार्थीगण की पुश्तैनी सम्पत्ति है, परन्तु उनके द्वारा अपने इस कथन के समर्थन में किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है और न ही ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है, जो यह साबित करता हो कि उक्त वादग्रस्त सम्पत्ति प्रार्थीगण की पुश्तैनी सम्पत्ति है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थीगण का उक्त वादग्रस्त भूखण्ड पर मालिकी स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य न तो प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है और न ही ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है, जिससे उक्त वादग्रस्त भूखण्ड प्रार्थीगण के मालिकी स्वामित्व का होना पाया जा सके। अतः प्रार्थी अधिवक्ता उक्त वादग्रस्त भूखण्ड को प्रार्थीगण के मालिकी स्वामित्व का साबित करने में असफल रहे है। इसके अलावा प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि प्रार्थीगण के पुराने कब्जे भोगवटा के उक्त भूखण्डों को ग्राम पंचायत द्वारा विक्रय कर अन्य व्यक्तियों के हक में पट्टे जारी कर दिए गए थे तथा ग्राम पंचायत द्वारा उक्त भूमि का विक्रय करने के बाद ग्राम पंचायत के पास कोई भूमि शेष नहीं रहती है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि पर ग्राम पंचायत पट्टा जारी कर सकती है एवं उक्त वादग्रस्त भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने के बाद कोई भूमि शेष नहीं रहती है एवं उक्त पट्टों में से ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार का कोई पट्टा जारी नहीं किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है एवं प्रार्थीगण द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किए जाने से पट्टाधारकों के सुखाधिकारों का भी हनन होना प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से ग्राम पंचायत रोहिडा द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 07 दिनांक 03.02.2016 एवं प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 20.02.2016 [illegible] क्षेप करना यह न्यायालय उचित नहीं मानता है। अतः ऐसी स्थिति में [illegible] का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:37:42 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 08.11.2024 को खुले न्यायालय में डिक्टेट कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner